



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052026-272324
CG-DL-E-08052026-272324

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2204]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 7, 2026/वैशाख 17, 1948

No. 2204]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 7, 2026/VAISAKHA 17, 1948

संचार मंत्रालय

(दूरसंचार विभाग)

(दूरसंचार अभियांत्रिकी केंद्र)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 मई, 2026

का.आ. 2295(अ).— केंद्रीय सरकार, दूरसंचार (मानक, अनुरूपता निर्धारण और प्रमाणन को अधिसूचित करने की रूपरेखा) नियम, 2025 के नियम 5 के साथ पठित, दूरसंचार अधिनियम, 2023 (2023 का 44) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, दूरसंचार उपकरण के लिए निम्नलिखित मानक को अधिसूचित करती है, अर्थात:-

क्रम संख्या	मानक की संख्या और नाम
(1)	(2)
1.	टी ई सी 30072603 आवश्यक अपेक्षाएँ सॉफ्टवेयर परिभाषित विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क उपकरण

[फा. सं. 24-03/2025-एसडी/टीईसी]

राजीव कुमार त्यागी, उप महानिदेशक

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Department of Telecommunications)

(TELECOMMUNICATION ENGINEERING CENTRE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th May, 2026

S.O. 2295(E).— In exercise of the powers conferred by section 19 of the Telecommunication Act, 2023 (44 of 2023) read with rule 5 of the Telecommunications (Framework to Notify Standards, Conformity Assessment and Certification) Rules, 2025, the Central Government hereby notifies the following standard for telecommunication equipment with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely: -

Sl. No.	Number and name of standard
(1)	(2)
1.	TEC 30072603 Essential Requirements Software Defined Wide Area Network Equipment

[F. No. 24-03/2025-SD/TEC]

RAJEEV KUMAR TYAGI, Dy. Director General